श्री बी० राजेन्दर, भा०प्र०से० जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 07.04.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति : यथा पंजी के अनुसार

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

उपस्थित सभी अधिवक्ताओ ने विहित प्रपत्र मे अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिला पदाधिकारी ने यह निदेश दिया कि माह जनवरी से नया प्रपत्र सरकारी अधिवक्ता परिचारित करेगें, ताकि समीक्षात्मक बैठक हेतु समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। जिला पदाधिकारी ने यह निदेश दिया कि निर्धारित बैठक से पांच दिन पूर्व प्रतिवेदन विधि शाखा में समर्पित करे ताकि सामेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

3. सहायक सरकारी अधिवक्ता की मांगः–

सहायक अधिवक्ताओं की संख्या इस जिला में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यंत ही कम है जिससे कि सरकारी वादों में पैरवी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है । अतः तुरंत नये सहायक सरकारी अधिवक्तोओं की नियुक्ति करने हेतु पैनल का प्रस्ताव जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, पटना से मांग करने हेतु जिला पदाधिकारी ने सरकारी अधिवक्ता को निदेश दिया ताकि सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा जाय।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता)

4. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके विपत्रों का भुगतान कर दिया गया है।

(अनुपालन– उप समाहर्ता, विधि शाखा)

5. सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता के फीस का पुनरीक्षणः–

सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनरीक्षण किया जाय ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धत के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्राप्त प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजें।

(अनुपालन– सहायक सरकारी अधिवक्ता

6. मुंसिफ–1 के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–32/97 में जो जमीन मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल की जमीन है तथा यह अंचल कार्यालय, पटना सदर के बगल में है, में अंचल द्वारा कोई कागजात नहीं देने की बात सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गयी। इस बात को गंभीर मानते हुए तुरंत अंचलाधिकारी,पटना सदर से स्पष्टीकरण मॉगने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, सदर/अपर समाहर्ता, पटना/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि,)

Scanned with OKEN Scanner

7. सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में अनुरोधक की कमी: (45)

सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में अनुरोधी कि नियुक्ति की जा चुकी है

8. न्यायालय संबंधी कार्यो में व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु आवंटन की मांग:

माननीय उच्च न्यायालय, स्वत्व वाद में, प्रतिशपथ पत्र दायर करने में होने वाले व्यय,न्यायिक पत्रों को भेजने में होनेवाले व्यय इत्यादि के लिए समुचित आवंटन की मांग विधि विभाग/सरकार से की जाय ताकि इसे सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जा सके।,

9 लंबित वादों की स्थिति : –

बाढ़ अनुमण्डल में करीब दो सौ वादों के लंबित होने की वाद सहायक सरकारी अधिवक्ता श्री सुभाष सिंह द्वारा बतायी गयी है।

श्री सुरन्द्र प्रसाद अधिवक्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय पटना में लगभग एक सौ वादों के लंबित होने की बात कही गयी ।

श्री बिक्रमादित्य सिंह सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा दानापुर अनुमण्डल में 20 वादों के लंबित होने की बात कही गयी ।

उपरोक्त वातों पर जिलाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित वादों की निष्पादन पर जोर दिया गया ।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

अन्यान्य

जिला पदाधिकारी ने बताया कि एल0ए0 केस में जयघोश राशि मे त्वरित निष्पादन की जाय।

प्रत्येक अंचल से संबंधित लंम्बित टाइटिल सूट/प्रोवेट वाद का अंचल वार सूची तैयार किया जाए, तथा टाइटिलसूट कि प्रति उपलब्ध करायें ताकि तथ्य विवरणी ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

जिला पदाधिकारी ने यह भी निदेश दिया कि सरकारी जमीन से संबंधित कौन–कौन सा मामला टाइटिल सूट किन–किन अंचल अधिकारी के पास लंबित हैं, इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दे ताकि अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। ताकि निष्पादन कराया जा सके।

अगले माह से बैठक महीने के द्वितीय शनिवार को आयोजित करने हेतु अधिवक्ताओं द्वारा अनुरोध किया गया है।

वाद संख्या 153/81 ढ़क्कनपुरा में नौ एकड़ जमीन का मामला लंबित है । जिस पर अंचल अधिकारी पटना सादर सहयोग अपेक्षित है।

Scanned with OKEN Scanner

नहीं बेचना था परन्तु सब बेच दिया गया है।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को पत्र का तामिला कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने इस बैठक की कार्रवाई समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि सिविल वादों मे निष्पादन का दर बढ़ाया जाय, जो वर्त्तमान में दयनीय स्तर पर है तथा यह अनुरोध किया गया कि सभी सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता सरकार की ओर से इमानदारी एवं पूरी लगन से पैरवी करेंगे तथा अधिक–से–अधिक सरकारी वादों में सरकार के पक्ष में फैसला दिला कर अपनी कार्यक्षमता का प्रदर्शन करेंगे।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक 1377 /विधि,पटना,दिनांक 24/5/07

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, विधि शाखा,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, पटना एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक 1377 **/विधि,पटना,दिनांक** 24/5/07

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 1377 **/विधि,पटना,दिनांक** 24/5/07

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप समाहर्त्ता प्रभारी,
विधि शाखा, पटना।

अपर जिला दण्डा0
विधि पटना।

समाहर्त्ता,
पटना।

Scanned with OKEN Scanner

डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से० जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 19.05.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने विहित प्रपत्र मे अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिला पदाधिकारी ने यह निदेश दिया था कि माह जनवरी से नया प्रपत्र सरकारी अधिवक्ता परिचालित करेंगे ताकि समीक्षात्मक बैठक हेतु समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। उक्त प्रपत्र अभी तक अप्राप्त है। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि निर्धारित बैठक से पांच दिन पूर्व प्रतिवेदन विधि शाखा में समर्पित करें ताकि समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

3. सहायक सरकारी अधिवक्ता की मांगः–

सहायक अधिवक्ताओं की संख्या इस जिला में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यंत ही कम है जिससे कि सरकारी वादों में पैरवी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है । नये सहायक सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने हेतु पैनल का प्रस्ताव जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, पटना को भेजा गया है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता)

4. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके विपत्रों का भुगतान कर दिया गया है।

(अनुपालन– उप समाहर्ता, विधि शाखा)

5. सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता के फीस का पुनरीक्षणः–

सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनरीक्षण किया जाय ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धत के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्राप्त प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजें।

(अनुपालन– सहायक सरकारी अधिवक्ता

6. मुंसिफ–1 के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–32/97 में मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल की जमीन है के संबंध में अंचल द्वारा कोई कागजात नहीं देने की बात सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गयी। अंचलाधिकारी,पटना सदर से प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जो अबतक अप्राप्त है। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी पटना सदर से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, सदर/अपर समाहर्ता, पटना/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि,

Scanned with OKEN Scanner

7. सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में अनुरोधक की कमी:

सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में अनुरोधी कि नियुक्ति की जा चुकी है

8. न्यायालय संबंधी कार्यों में व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आवंटन की मांग:

माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने तथा अन्य विधिक मद में होने वाले व्यय,न्यायिक पत्रों को भेजने में होनेवाले व्यय इत्यादि के लिए समुचित आवंटन की मांग विधि विभाग से करने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

9 लंबित वादों की स्थिति : –

जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया की सभी सरकारी अधिवक्ता अंचलवार लंबित वादों की विस्तृत सूची अगले बैठक में निश्चित रूप से प्रस्तुत करे ताकि लंबित वादों के निष्पादन में यथोचित कार्रवाई की जा सके।।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

अन्य :-

जिला पदाधिकारी ने बताया कि एल0ए0 केस में जयनोश राशि मे त्वरित निष्पादन की जाय।

वाद संख्या 153/81 ढ़क्कनपुरा में नौ एकड़ जमीन का मामला लंबित है । इस वाद में अंचल अधिकारी पटना सदर का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी सदर से प्रतिवेदन मॉगने का निदेश दिया ।

* मोकामा अंचल में खास महल की 28.50 एकड़ जमीन श्री देवशरण को बन्दोबस्त किया गया था। इस जमीन का हस्तानंतरण अवैध है परन्तु श्री देवशरण द्वारा सभी जमीन बेच दिया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, मोकामा से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी मोकामा से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया ।

* सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को पत्र का तामिला कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया।

* जिला पदाधिकारी ने इस बैठक की कार्रवाई समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि सिविल वादों मे निष्पादन का दर बढ़ाया जाय। जिला पदाधिकारी ने आशा प्रकट की सभी सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता सरकार की ओर से ईमानदारी एवं पूरी लगन से पैरवी करेंगे तथ अधिक–से–अधिक सरकारी वादों में सरकार के पक्ष में फैसला दिला कर अपनी काबलियत का प्रदर्शन करेंगे।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी, पटना।

R.K.P. dot. Leagal com Pandarak. A.K.

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक.....1736...../विधि,पटना,दिनांक.....11.6.07

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, विधि शाखा,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता, पटना एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अगले बैठक में निश्चित रूप से भाग लें।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक.....1736...../विधि,पटना,दिनांक.....11.6.07

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक.....1736...../विधि,पटना,दिनांक.....11.6.07

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra
8.6.2007

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिला पदाधिकारी, पटना।

8.6.07

Scanned with OKEN Scanner

अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 23.06.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार
2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

जिला पदाधिकारी के सरकारी कार्यो में अन्यत्र व्यस्त रहने के कारण अपर जिला दण्डाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की । उपस्थित सभी अधिवक्ताओ ने विहित प्रपत्र मे अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि, पटना ने यह निदेश दिया था कि माह जनवरी से नया प्रपत्र सरकारी अधिवक्ता परिचारित करेगें, ताकि समीक्षात्मक बैठक हेतु समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। उक्त प्रपत्र अभी तक अप्राप्त है। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि, पटना ने निदेश दिया कि प्रत्येक माह के 10 तारीख तक प्रतिवेदन विधि शाखा में समर्पित करे ताकि सामेकित प्रतिवेदन तैयार किया जा सके। सरकारी अधिवक्ता को पुनः निदेश दिया जाता है कि अगली बैठक के पूर्व नया प्रपत्र समर्पित करे।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

3. सहायक सरकारी अधिवक्ता की मांगः–

सहायक अधिवक्ताओं की संख्या इस जिला में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यंत ही कम है जिससे कि सरकारी वादों में पैरवी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है । नये सहायक सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने हेतु पी0पी0 मैनुअल की धारा 138 कें निहित प्रावधान के आलोक में नये पैनल के गठन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

4. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके लंबित विपत्रों का भुगतान कर दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया जाता है कि अब से भुगतान हेतु विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति अवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा उनके विपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2007–08 का नया आवंटन प्राप्त हो गया है।

(अनुपालन– उप समाहर्ता, विधि शाखा)

5. सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता के फीस का पुनरीक्षणः–

सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनरीक्षण किया जाय ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धत के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें।इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्राप्त प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजें। प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता)

Scanned with OKEN Scanner

संबंध मे अंचलाधिकारी, मोकामा से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी मोकामा से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश जिला पदाधिकारी, पटना ने दिया था। उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब अब तक अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, मोकामा आज की बैठक में अनुपस्थित है।

* लंबित वाद अब्दुल कलाम बनाम सफरुद्दीन अतिक्रमण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी सदर पटना लंबित है । सरकार के पक्ष की ओर से श्री लालबाबू सिंह, सहायक सरकारी अधिवक्ता कार्य करेगें । अनुमण्डल पदाधिकारी को पत्र का तामिला कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार/कार्यपालक दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी,/अपर समाहर्त्ता/नीलाम पत्र पदाधिकारी अपने –अपने न्यायालय का कॉउज लिस्ट नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करे।

श्री लालबाबू सिंह सरकारी अधिवक्ता को चैम्बर आवंटित किया गया है जिसका कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल सका है। नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में जिला नियंत्रण कक्ष की सहायता से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करे। इस संबंध में नजारत उप समाहर्त्ता को स्मारित करे।

* अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि, पटना ने इस बैठक की कार्रवाई समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि सिविल वादों मे निष्पादन का दर बढ़ाया जाय। अपर जिला दण्डाधिकारी ने आशा प्रकट की सभी सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता सरकार की ओर से ईमानदारी एवं पूरी लगन से पैरवी करेंगे तथा अधिक–से–अधिक सरकारी वादों में सरकार के पक्ष में फैसला दिला कर अपनी काबलियत का प्रदर्शन करेंगे।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक................................/विधि,पटना,दिनांक...............................

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी अंचलधिकारी, पटना जिला/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक................................/विधि,पटना,दिनांक...............................

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक....2091........../विधि,पटना,दिनांक....6/7/07.........

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

R.K.P. dot. Leagal com Pandarak. A.K.

अंचलवार लंबित वादों का प्रतिवेदन।

क्रमांक	अंचल का नाम	वाद संख्या	वादी का नाम	वाद की स्थिति	अभ्युक्ति
1	पटन सदर	TS No. 498/99	श्री प्रताप नारायण सिंह	बहस पर	
2	पटन सदर	TS No83/01	श्री अमरेन्द्र कुमार	बहस पर	
3	पटन सदर	TS No. 222/88	श्रीमती पारो देवी	गवाही पर	
4	पटन सदर	TS No. 283/99	श्री शम्भु नारायण सिंह	माननीय उच्च न्यायालय की आदेश की प्रतिक्षा मे	
5	पटन सदर	TS No. 8/03	श्री महेश कान्त लाल	बहस पर	
6	पटन सदर	TS No. 2–3/02	श्री अमर प्रसाद	सुनवाई पर	
7	पटन सदर	TS No. 24/03	श्री चन्द्रिका गोस्वामी	सुनवाई पर	
8	पटन सदर	TS No. 431/94	श्री उदय प्रकाश सिंह		
9	पटन सदर	TS No. 395/87	बिहार सरकार		
10	पटन सदर	TS No. 88/93	संत रविदास		
11	पटन सदर	TS No. 200/96 260/06	श्री सैयद शादिक इमाम		
12	पटन सदर	TS No. 259/95	कनोजिया कन्सट्रक्शन		
13	पटन सदर	Misc. 9/03	श्री गंटॅ मांझी		
14	पटन सदर	TS No. 105/96	श्री वैद्यनाथ पासवान		
15	सदर अनुमण्डल	TS No. 13/04	श्री संजय कुमार गुप्ता		
16	सदर अनुमण्डल	TS No. 59/02	श्री ताखिद प्रसाद		
17	सदर अनुमण्डल	TS No. 60/02	श्री ताखिद प्रसाद		
18	दानापुर अंचल	TS No. 27/05	श्री भूषण पासवान		
19	दानापुर अंचल	Mics. 77/06	श्री देवेन्द्र चौधरी		
20	बिहटा अंचल	TA No. 93/89	श्री राम प्रवेश पंडित		
21	बिहटा अंचल	TA No.80/99	श्री गोपाल राय		
22	बिहटा अंचल	TA No. 38/98	श्री वैद्यनाथ सिंह		
23	फुलवारी अंचल	TS No. 63/91	श्री चन्द्रप्रभा देवी		
24	फुलवारी अंचल	TS No. 13/01	श्री रक्षा प्रसाद शर्मा		
25	फुलवारी अंचल	TS No. 305/05	फुलवारी शरीफ सूती मील मजदूर		
26	फुलवारी प्रखण्ड	ELEC. 6/06	श्रीमती मंजू देवी		
27	सम्पाचक प्रखण्ड	ELEC. 4/06	श्रीमती शशिकला देवी		
28	सम्पाचक प्रखण्ड	ELEC. 5/06	श्री कपिल सिंह यादव		
29	सम्पाचक प्रखण्ड	ELEC. 5/06	श्री कपिल सिंह यादव		
30	सदर प्रखण्ड	ELEC. 1/06	श्री गोरख राय		
31	सदर प्रखण्ड	ELEC. 2/06	श्री संजय प्रसाद		
32	विक्रम प्रखण्ड	ELEC. 6/06	श्री अरूण कुमार		
33	विक्रम अंचल	Mics. 8/94	श्री बच्चु सिह		
34	समाहर्त्ता, पटना	TS No. 50/01	श्री हरि मोहन प्रसाद		
35	उप विकास आयुक्त	TS No. 21/04	श्री भागीरथ प्रसाद		
36	एस0 के0 पुरी	TS No.37/2000	श्रीमती मनीला देवी		
37	जिला पंचायत राज	MS. 18/2000	श्री अनिल कुमार		
38	सहाय शाखा, पटना	TS No. 53/99	बीकानेर प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज		
39	समाहर्त्ता /उप विकास आयुक्त पटना	TS No. 50/01	श्री हरि मोहन प्रसाद		
40	वरीय आरक्षी अधीक्षक, पाटलीपुत्र, थाना	निष्कासन वाद संख्या 44/05	श्रीमती सुमित्रा देवी		

Scanned with OKEN Scanner

लंबित वादों की सूची

क्रमांक	न्यायालय का नाम	लंबित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	विशेष भू–अर्जन न्यायाधीश –1	8	
2	विशेष भू–अर्जन न्यायाधीश –2	16	
3	विशेष भू–अर्जन न्यायाधीश –3	16	
4	विशेष भू–अर्जन न्यायाधीश –4	12	
	कुल	**52**	

Scanned with OKEN Scanner

जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

जिला पदाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की । उपस्थित सभी अधिवक्ताओ ने विहित प्रपत्र मे अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

3. सहायक सरकारी अधिवक्ता की मांगः–

सहायक अधिवक्ताओं की संख्या इस जिला में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यंत ही कम है जिस कारण सरकारी वादों में पैरवी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है । नये सहायक सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु पी0पी0 मैनुअल की धारा 138 कें निहित प्रावधान के आलोक में नये पैनल के गठन हेतु प्राप्त बायोडाटा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के पास मंतव्य हेतु भेजा गया है। अनुशंसा सुची अबतक अप्राप्त है। पुनः स्मार भेजा जा चुका है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

4. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं ने बताया कि उनके लंबित विपत्रों का भुगतान कर दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया जाता है कि अब से भुगतान हेतु विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा उनके विपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2007–08 का नया आवंटन प्राप्त हो गया है। विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति प्राप्त करने में होने वाले व्यय का अभिश्रव विपत्र में संलग्न करे, जिसका भुगतान किया जाएगा।

(अनुपालन– उप समाहर्ता, विधि शाखा)

5. सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता के फीस का पुनरीक्षणः–

सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनरीक्षण किया जाय ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें । इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता, विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्राप्त प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजें। प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता)

6. मुंसिफ–1 के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–32/97 में मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल की जमीन है, के संबंध में अंचल द्वारा कोई कागजात नहीं देने की बात सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गयी। अंचलाधिकारी,पटना सदर से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, सदर/अपर समाहर्ता, पटना/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि,)

Scanned with OKEN Scanner

7. सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में अनुसेवक की कमी:

सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में अनुसेवी कि नियुक्ति की जा चुकी है

8. न्यायालय संबंधी कार्यो में व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु आवंटन की मांग:

माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने तथा अन्य विधिक मद में होने व्यय,न्यायिक पत्रों को भेजने में होनेवाले व्यय इत्यादि के लिए समुचित आवंटन की मांग विधि विभाग मांग की गयी थी जिसके आलोक में सरकार के द्वारा विधि मद में वर्ष 2007–08 में उपलब्ध एक लाख रूपयें आवंटित की गयी है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

9 लंबित वादों की स्थिति : –

प्रमु नारायण सराकरी अधिवक्ता :–

	सदर	– 17
	टी0एस0	– 04
	एस0आर0 एम0	– 01
	ई0एल0	– 06
	मिसलेनियस	– 02
सरकारी अधिवक्ताः–	**कुल**	**– 40**
विकमादित्य सिंह	**दानापुर**	**– 25**

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

अन्यान्यः–

* जिला पदाधिकारी, पटना ने बताया कि एल0ए0 केस में जयघोश राशि मे त्वरित निष्पादन की जाय।

* वाद संख्या 153/81 ढ़क्कनपुरा में नौ एकड़ जमीन का मामला लंबित है । इस वाद में अंचल अधिकारी पटना सदर का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। अंचल अधिकारी सदर को विस्तृत रूप से इस वाद का विवरण विगत बैठक में उपलब्ध करा दिया गया था। अंचल अधिकारी, सदर ने आश्वासन दिया था कि सरकारी अधिवक्ता को आवश्यक कागजात करा दिया जाएगा किन्तु इस संबंध मं अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी सदर का पुनः स्मारित करने का निदेश दिया गया ।

* मोकामा अंचल में खास महल की 28.50 एकड़ जमीन श्री देवशरण को बन्दोबस्त किया गया था। इस जमीन का हस्तानंतरण अवैध है परन्तु श्री देवशरण द्वारा सभी जमीन बेच दिया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, मोकामा से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी मोकामा से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश जिला पदाधिकारी, पटना ने दिया था। उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब अब तक अप्राप्त है।

अब्दुल कलाम बनाम साफरूद्दीन अतिक्रमण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी सदर पटना के स्तर पर लंबित है । सरकार के पक्ष की ओर से श्री लालबाबू सिंह, सहायक सरकारी अधिवक्ता इस वाद में पैरवी का कार्य करेगें ।

श्री लालबाबू सिंह सरकारी अधिवक्ता को चैम्बर आवंटित किया गया है जिसका कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल सका है। नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में जिला नियंत्रण कक्ष की सहायता से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला पदाधिकारी, पटना ने इस बैठक की कार्रवाई समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि सिविल वादों मे निष्पादन का दर बढ़ाया जाय।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 2689 /विधि,पटना,दिनांक 7/9/07

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी अंचलधिकारी, पटना जिला/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना कों सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

D/R.K.P. dot. Leagal com Pandarak. A.K.

Scanned with OKEN Scanner

अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार
2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

जिला पदाधिकारी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के साथ अन्य बैठक में व्यस्त रहने के कारण अपर जिला दण्डाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता की । बैठक में उपस्थित सभी अधिवक्ताओ ने विहित प्रपत्र मे अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

3. सहायक सरकारी अधिवक्ता की मांगः–

सहायक अधिवक्ताओं की संख्या इस जिला में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यंत ही कम है जिसे कारण सरकारी वादों में पैरवी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है । नये सहायक सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु पी0पी0 मैनुअल की धारा 138 कें निहित प्रावधान के आलोक में नये पैनल के गठन हेतु प्राप्त बायोडाटा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के पास मंतव्य हेतु भेजा गया है। अनुशंसा सुची अबतक अप्राप्त है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

4. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

श्री शर्मा सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी ने बताया कि उनके लंबित विपत्रों का भुगतान कर दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया जाता है कि अब से भुगतान हेतु विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा उनके विपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2007–08 का नया आवंटन प्राप्त हो गया है। विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति प्राप्त करने में होने वाले व्यय का अभिश्रव विपत्र में संलग्न करे, जिसका भुगतान किया जाएगा। अधिवक्ताओं द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया। इसकी भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

(अनुपालन– उप समाहर्ता, विधि शाखा)

5. सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता के फीस का पुनरीक्षणः–

सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनर्रीक्षण किया जाय ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें । इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता, विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्राप्त प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजें। प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता)

Scanned with OKEN Scanner

6. मुंसिफ–1 के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–32/97 में मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल की जमीन है, के संबंध में अंचल द्वारा कोई कागजात नहीं देने की बात सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गयी। अंचलाधिकारी,पटना सदर से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है। इस संबंध में अंचलध्किारी पटन सदर को अर्द्धसरकारी पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, सदर/अपर समाहर्ता, पटना/उप समाहर्त्ता प्रमारी विधि,)

7. सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में अनुसेवक की कमी:

सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में अनुसेवी कि नियुक्ति की जा चुकी है

8. न्यायालय संबंधी कार्यो में व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु आवंटन की मांग:

माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने तथा अन्य विधिक मद में होने वाले व्यय,न्यायिक पत्रों को भेजने में होनेवाले व्यय इत्यादि के लिए समुचित आवंटन की मांग विधि विभाग से मांग की गयी थी जिसके आलोक में सरकार के द्वारा विधि मद में वर्ष 2007–08 में उपलब्ध एक लाख रूपयें आवंटित की गयी है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

9 लंबित वादों की स्थिति : –

प्रमु नारायण सराकरी अधिवक्ता :–

सदर	– 17
टी0एस0	– 04
एस0आर0 एम0	– 01
ई0एल0	– 06
मिसलेनियस	– 02
कुल	**– 40**
दानापुर	**– 25**

सरकारी अधिवक्ता:–
विक्रमादित्य सिंह

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

अन्यान्य:–

* अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि ने बताया कि एल0ए0 केस में जयघोश राशि मे त्वरित निष्पादन की जाय।

* वाद संख्या 153/81 ढक्कनपुरा में नौ एकड़ जमीन का मामला लंबित है । इस वाद में अंचल अधिकारी पटना सदर का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। अंचल अधिकारी सदर को विस्तृत रूप से इस वाद का विवरण विगत बैठक में उपलब्ध करा दिया गया था। अंचल अधिकारी, सदर ने आश्वासन दिया था कि सरकारी अधिवक्ता को आवश्यक कागजात करा दिया जाएगा किन्तु इस संबंध मं अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

Scanned with OKEN Scanner

मोकामा अंचल में खास महल की 28.50 एकड़ जमीन श्री देवशरण को बन्दोबस्त किया गया था। इस जमीन का हस्तानंतरण अवैध है परन्तु श्री देवशरण द्वारा सभी जमीन बेच दिया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, मोकामा से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी मोकामा से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश जिला पदाधिकारी, पटना ने दिया था। उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब अब तक अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, मोकामा को अर्द्ध सरकारी पत्र से स्मारित करने का निर्णय लिया गया ।

श्री लालबाबू सिंह सरकारी अधिवक्ता को चैम्बर आवंटित किया गया है जिसका कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल सका है। नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में जिला नियंत्रण कक्ष की सहायता से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना ने इस बैठक की कार्रवाई समाप्त करते हुए निर्देश दिया कि सिविल वादों मे निष्पादन का दर बढ़ाया जाय।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

ज्ञापांक 3071 /विधि, पटना, दिनांक 8/10/07

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी अंचलधिकारी, पटना जिला/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी
विधि, पटना।

D/R.K.P. dot. Leagal com Pandarak. A.K.

जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.2007 को समाहरणालय सभा कक्ष में सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार
2. विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का प्रेषणः–

जिला पदाधिकारी ने बैठक प्रारंभ करते हुए सरकारी अधिवक्ता / सहायक सरकारी अधिवक्ता को दुर्गा पूजा, ईद की शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए इस बैठक को जिला अभियोजन पदाधिकारी के बैठक के बाद करने का निर्णय लिया। इसकी सहमति संबंधित अधिवक्ताओं से लेते हुए विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन विधि शाखा को ससमय उपलब्ध कराने का निदेश दिया ।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता)

3. सहायक सरकारी अधिवक्ता की मांगः–

सहायक अधिवक्ताओं की संख्या इस जिला में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यंत ही कम है जिसके कारण सरकारी वादों में पैरवी उचित ढंग से नहीं हो पा रही है । नये सहायक सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु पी0पी0 मैनुअल की धारा 138 के निहित प्रावधान के आलोक में नये पैनल के गठन हेतु प्राप्त बायोडाटा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के पास मंतव्य हेतु भेजा गया है। अनुशंसा सुची अबतक अप्राप्त है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार, पटना से स्मार प्राप्त हुआ है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

4. लम्बित बकाया विपत्र का भुगतानः–

श्री शर्मा सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी ने बताया कि उनके लंबित विपत्रों का भुगतान कर दिया गया है। सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया जाता है कि अब से भुगतान हेतु विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा उनके विपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। वर्ष 2007–08 का नया आवंटन प्राप्त हो गया है। विपत्रों के साथ संबंधित वाद का न्यायादेश/डिक्री की प्रति प्राप्त करने में होने वाले व्यय का अभिश्रव विपत्र में संलग्न करे, जिसका भुगतान किया जाएगा। अधिवक्ताओं द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया। इसकी भुगतान की कार्रवाई की जा'रही है।

(अनुपालन– उप समाहर्ता, विधि शाखा)

5. सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता के फीस का पुनरीक्षणः–

सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने पुनः इस बात की मांग की कि उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के तर्ज पर ही प्रत्येक वाद में किये जाने वाले पैरवी के विरूद्ध फीस का पुनर्रीक्षण किया जाय ताकि वे पूरे मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सरकार की ओर से पैरवी कर सकें । इस सम्बन्ध में उप समाहर्त्ता, विधि शाखा को यह निदेश दिया गया कि वे इन लोगों से प्राप्त प्रस्ताव को विधि विभाग को भेजें। प्रस्ताव अभी तक अप्राप्त है।

(अनुपालन– सरकारी अधिवक्ता)

Scanned with OKEN Scanner

6. मुंसिफ–1 के न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–32/97 में मिश्रा पेट्रोल पंप के बगल की जमीन है, के संबंध में अंचल द्वारा कोई कागजात नहीं देने की बात सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा की गयी। अंचलाधिकारी,पटना सदर से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, उनके द्वारा सहायक सरकारी अधिवक्ता को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में अंचलधिकारी पटन सदर को अर्द्धसरकारी पत्र निर्गत किया गया।

(अनुपालन– अंचलाधिकारी, सदर/अपर समाहर्ता, पटना/उप समाहर्त्ता प्रभारी विधि,)

7. सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय में अनुसेवक की कमी:

सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पर्याप्त संख्या में अनुसेवी कि नियुक्ति की जा चुकी है

8. न्यायालय संबंधी कार्यो में व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु आवंटन की मांग:

माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने तथा अन्य विधिक मद में होने वाले व्यय,न्यायिक पत्रों को भेजने में होनेवाले व्यय इत्यादि के लिए समुचित आवंटन की मांग विधि विभाग से मांग की गयी थी जिसके आलोक में सरकार के द्वारा विधि मद में वर्ष 2007–08 में उपलब्ध एक लाख रूपयें आवंटित की गयी है।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

अन्यान्यः–

* जिला पदाधिकारी ने बताया कि एल0ए0 केस में जयघोश राशि मे त्वरित निष्पादन की जाय।

* वाद संख्या 153/81 ढ़क्कनपुरा में नौ एकड़ जमीन का मामला लंबित है । इस वाद में अंचल अधिकारी पटना सदर का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। अंचल अधिकारी सदर को विस्तृत रूप से इस वाद का विवरण विगत बैठक में उपलब्ध करा दिया गया था। अंचल अधिकारी, सदर ने आश्वासन दिया था कि सरकारी अधिवक्ता को आवश्यक कागजात करा दिया जाएगा किन्तु इस संबंध मं अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गयी है। इस संबंध में अर्द्ध सरकारी पत्र निर्गत किया गया।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

* मोकामा अंचल में खास महल की 28.50 एकड़ जमीन श्री देवशरण को बन्दोबस्त किया गया था। इस जमीन का हस्तानंतरण अवैध है परन्तु श्री देवशरण द्वारा सभी जमीन बेच दिया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, मोकामा से प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी मोकामा से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश जिला पदाधिकारी, पटना ने दिया था। उनके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब अब तक अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, मोकामा को अर्द्ध सरकारी पत्र से स्मारित किया गया ।

श्री लालबाबू सिंह सरकारी अधिवक्ता को चैम्बर आवंटित किया गया है जिसका कब्जा उन्हें अभी तक नहीं मिल सका है। नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में जिला नियंत्रण कक्ष की सहायता से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन– विधि शाखा, पटना)

* जिला पदाधिकारी पटना द्वारा दिपावली और छठ की शुभकामना देते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की ।

(डॉ०बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक 3466 /विधि,पटना,दिनांक 6/11/07

प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित सरकारी अधिवक्ता/सहायक सरकारी अधिवक्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी अंचलधिकारी, पटना जिला/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–. आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 5.11.2007

जिलाधिकारी,
पटना।